

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
आशरफ बनाम कोपास

नम्बर व  
अहकाम  
हुक्म को  
में जा

28/01/25

पगावली द्वारा पेय डक. वठिल वारी उपरोक्त  
के लम्बित रहते हुए तीन साल से चुके  
परन्तु वठिल वारी ने तलाश की कार्यवाही  
पूर्ण नहीं कि. वठिल वारी के बाट बाट मौका  
द्वारा कि उपरोक्त की वठिल वारी ने तलाश  
की कार्यवाही नहीं की. अतः द्वारा द्वारा वारी  
अंतर्गत धारा 481 में निषेध का प्रावधान  
नॉन कम्प्लायन्स में धारित की जाती है  
पगावली उमल शुभा लोक राशिल  
द्वारा

उपखण्ड अधिकारी  
सीकरी (डीग) राज

फरी

वल्दियत

२५

२६

२७

२८

ख २०

त फरीक

हस्व हिद  
वाला दारि